1098
J.D (NCD)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा अनुभाग–3
संख्याः /XXVIII–3–2017–1रिट/2017
देहरादूनः दिनांक 03मई, 2017

अधिसूचना

रिट याचिका (पी0आई0एल0) संख्या-36 (एस0एस0) /2015, श्री उदयनारायण तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.11.2016 के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य में स्थित धार्मिक स्थल गुरूद्वारा नानकमत्ता, गुरूद्वारा रिठा साहिब एवं गुरूद्वारा हेमकुण्ड साहिब के पाँच कि0मी0 के दायरे में तम्बाकू युक्त उत्पादों के संग्रह, वितरण, क्रय-विक्रय इत्यादि श्री राज्यपाल **सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद निषेध अधिनियम, 2003** की धारा-4 एवं धारा-5 में निहित प्राविधानों के तहत तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव।

पृ0संख्याः 02 (1)/XXVIII-3-2017-1रिट/2017, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी/पुलिस अधिक्षक, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून
6. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(शिवस्वरूप त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Desktop/Rai Sir/official order